

प्रति,

✓1.माननीय महामहिम राज्यपाल जी,

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

2.माननीय मुख्यमंत्री जी,

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

3.माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी,

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

4.सचिव, उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

विषय:-मानवविज्ञान अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में UGC के नियमों की अवहेलना एवं कम API स्कोर वालों का चयन के संबंध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb/Gen.Adm./2004 Raipur Date 13/ 12/2024 के बिंदु क्रमांक 3 में सहायक प्राध्यापक के 3 पद विज्ञापित किए गए थे।

उक्त विज्ञापन का साक्षात्कार दिनांक 16.09.2026 एवं 17.09.2026 को पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कुलपति कक्ष में आयोजित किया गया था। साक्षात्कार में आर्कियोलॉजी के विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रो.के.के.बसा, पूर्व डायरेक्टर एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कलकत्ता, सोशल एन्थ्रोपोलॉजी के विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रो.अभीक घोष, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय तथा फिजिकल एन्थ्रोपोलॉजी के विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ.राजेश कुमार गौतम, सागर विश्वविद्यालय म.प्र. थे। UGC के नियमों की अवहेलना कर सहायक प्राध्यापक के अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पद निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

1.श्रीपर्णा बनर्जी- यह उम्मीदवार कोलकाता के मानवविज्ञान के प्रो. प्रेमानंद भारती की रिसर्च स्कालर है। प्रो. प्रेमानंद भारती, साक्षात्कार के विषय विशेषज्ञ प्रो.के.के.बसा, प्रो.अभीक घोष तथा प्रो.राजेश कुमार गौतम के घनिष्ठ मित्र हैं। श्रीपर्णा बनर्जी का चयन केवल मानवविज्ञान में एम.ए/एम.एस.एससी तथा नेट परीक्षा पास के आधार पर किया गया है। जबकि इस पद के लिए मानवविज्ञान में नेट, जे.आर.एफ.पी.एच-डी., कई वर्षों के शैक्षणिक अनुभव रखने वाले तथा अच्छे रिसर्च जनरल में शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अभ्यर्थियों ने भी साक्षात्कार दिये थे। इनमें से किसी का भी चयन न होकर मात्र एम.ए/एम.एस.एससी तथा नेट की पात्रता रखने वाले श्रीपर्णा बनर्जी का चयन होना। चयन प्रक्रिया पर प्रश्न उठता है साथ ही विश्वविद्यालय के गलियारों में पैसे का लेन-देन संबन्धित चर्चा का होना भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अर्थात् श्रीपर्णा बनर्जी का चयन सहायक प्राध्यापक के पद पर UGC के नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से किया गया है।

2.ग्रेट गुलशन बर्नाड- यह उम्मीदवार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से मानवविज्ञान विषय में बी.एससी.तथा हंसराज कॉलेज दिल्ली से एम.एससी. एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉ. मिताश्री श्रीवास्तव के निर्देशन में पी.एच-डी की उपाधि प्राप्त किया है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से बी.एस.सी. पढ़ाई के दौरान यह उम्मीदवार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के मानवविज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो. प्रो.नीलकंठ पाणिग्रही का अत्यधिक प्रिय तथा करीबी स्टुडेंट रहा है। दिल्ली में पी.एच-डी के दौरान इसका परिचय सागर विश्वविद्यालय के प्रो.राजेश कुमार गौतम सर से हुआ। अनुसूचित जाति वर्ग के कई उच्च रैंक वाले उम्मीदवार जो कि मानवविज्ञान में नेट, जे.आर.एफ. पी.एच-डी., कई वर्षों के शैक्षणिक अनुभव रखने वाले तथा अच्छे रिसर्च

शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अभ्यर्थियों का चयन ना होना संदेह पैदा करता है।



3. निर्मला तिग्गा- यह उम्मीदवार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से मानवविज्ञान विषय में एम.ए./एम.एससी. की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के मानवविज्ञान विषय के विभागाध्यक्ष प्रो.नीलकंठ पाणिग्रही के निर्देशन में शोध कार्य कर रही है। निर्मला तिग्गा का चयन मात्र एम.ए./एम.एस.एससी तथा नेट के आधार पर होना अभ्यर्थियों के चयन पर संदेह पैदा करता है।

महोदय, चयनित अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विज्ञापन जारी होने के कई महीने बाद एकेडमिक स्कोर में 60 अंक तथा साक्षात्कार में 40 अंक का प्रावधान 2025 में कार्यपरिषद में स्वीकृति प्रदान किया गया है जबकि यह नियम विज्ञापन में उल्लेखित होना था।

साक्षात्कार के पूर्व पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों का अनंतिम चयन सूची दिनांक 24.08.2026 जारी किया गया था। सूची में राज्य के बाहर के एस.सी., एस.टी. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के एस.सी., एस.टी. की सूची में शामिल किया गया था। पुनः दिनांक 03.09.2026 को रिवाइज्ड सूची जारी किया गया जिसमें राज्य के बाहर के एस.सी., एस.टी. अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का शुल्क जमा करार कर सामान्य वर्ग में शामिल किया गया जबकि इन अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जाना था। साक्षात्कार के 15-20 दिवस के अंदर राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों से सामान्य वर्ग का शुल्क जमा कराया गया है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस संबंध में भी जांच किया जाना चाहिए।

इन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर जांच कराने की कृपा करें-

- (1) चयनित अभ्यर्थियों श्रीपर्णा बनर्जी, ग्रेट गुलशन बर्नाड और निर्मला तिग्गा तथा उनके परिवार के सदस्यों का बैंक ट्रांजेक्शन का जांच हो।
- (2) चयनित अभ्यर्थियों श्रीपर्णा बनर्जी के गाईड प्रो. प्रेमानंद भारती तथा निर्मला तिग्गा व उसके गाईड प्रो.नीलकंठ पाणिग्रही व ग्रेट गुलशन बर्नाड व उसके मार्ग दर्शक प्रो.नीलकंठ पाणिग्रही के कॉल डिटेल्स का जांच हो।
- (3) चयन समिति में शामिल सभी सदस्यों की कॉल रिकॉर्ड एवं बैंक ट्रांजेक्शन की जांच होनी चाहिए।

अतः महोदय जी, उपरोक्त नियुक्ति को निरस्त कर छत्तीसगढ़ के योग्य उम्मीदवारों को न्याय दिलाने की कृपा करें एवं दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय
मानवविज्ञान अध्ययनशाला के भूतपूर्व शोधार्थी

1. डॉ. हेमंत कुमार
2. डॉ. राजेश कुमार दुबे
3. डॉ. रवि राहुल चक्रवर्ती
4. डॉ. सुनील कुमार मेहता
5. डॉ. रामदेव जुरी
6. डॉ. कृष्ण कुमार पैकरा
7. डॉ. तुलसी रानी ठाकरे

पता- प्रोफेसर कॉलोनी, गली नं.03 बालाजी होटल के पास रायपुर छ.ग. 492001, मो. 8103866976